न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाँसी।

एफ०आर० प्रकीर्ण वाद सं०–325/2023
सी०एन०आर० सं०–UPJS04016525–2023
जे०ओ० कोड़ नं०–UP–2141

अब्दुल मजीद खाँ **बनाम** **आसिफ अली आदि**
धारा–498–ए, 302 भा०द०स०
थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी।
मु०अ०सं०–109/2022

दिनांक–05.08.2023–

अन्तिम रिपोर्ट की पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगण पर दहेज के लिए वादिनी मुकदमा की पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत आपराधिक प्रकरण की विवेचना के आधार पर अंतिम आख्या पेश की गयी है।

केसडायरी के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा अब्दुल मजीद खाँ, वादी मुकदमा की पत्नी श्रीमती परवीन बेगम के बयान अंकित किये गये है। विवेचक द्वारा केस डायरी में आबिद मंसूरी, मो० शाहिद, अब्दुल मजीद खाँ, समरीन बानो, श्रीमती परवीन बानो, शफीक खाँ द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों का उल्लेख किया गया है। विवेचक द्वारा केस डायरी में शपथकर्ता अब्दुल मजीद, श्रीमती परवीन बानो, श्रीमती समरीन बानो, शाहिद, शफीक खाँ, आबिद मंसूरी के मजीद बयान अंकित किये गये है। विवेचक द्वारा केस डायरी में पंचायतनामा के गवाह मो० आसिफ, मो० आबिद मंसूरी, शफीक खान के बयान अंकित किये गये है।

विवेचक द्वारा केस डायरी में चिकित्सक डॉ० प्रदीप अग्रवाल व चिकित्सक डॉ० अनुराग श्रीवास्तव व नेत्र चिकित्सक डॉ० राकेश राठौर के बयान भी अंकित किये गये है।

विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा सं०–40 में अब्दुल मजीद खाँ व परवीन बेगम के धारा–164 दं०प्र०सं० के बयानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वादी अब्दुल मजीद द्वारा कथन किया गया है कि वह कक्षा 3 तक पढ़ा है। उसकी लड़की की मृत्यु दिनांक–22.03.2022 को उसके ससुराल में हुई। दिनांक–24.03.2022 को थाने पर तहरीर लिखकर दी गई। तहरीर उसके रिश्तेदारों ने लिखी थी। उसने हस्ताक्षर बनाये थे, लेकिन उसे बता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है। तीन महीने बाद वह अपनी लड़की की लड़कियों को घर लेकर आया और उसने पूछा कि मम्मी को क्या हुआ था तो उसकी बड़ी नातिन ने बताया कि मम्मी को पेट और सिर में दर्द रहता था और जिस दिन मम्मी मरी, उस दिन भी उनके पेट में दर्द था और जब तक पापा आये, तब तक मम्मी ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। उसकी बेटी को कुंवारेपन से सिर और पेट दर्द की शिकायत थी तो हो सकता है कि उसने इसलिए आत्महत्या कर ली हो। उसकी बेटी ने दहेज को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। उसकी बेटी के ससुराल वाले उसका ईलाज भी कराये थे। उसे नहीं लगता कि उसकी बेटी के ससुराल वाले उसे मार सकते है। उसे लड़के वालों से कोई शिकायत नहीं है। उसे नहीं पता था कि रिश्तेदारों ने क्या तहरीर लिख कर दी है, जब उसे पता चला तो उसने तुरन्त थाने पर शपथपत्र दे दिया था। उसकी बेटी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका तरन्नुम बानो है। जब रिश्तेदारों ने तहरीर लिखकर दी तो उन लोगों ने बताया था कि उसकी लड़की इन लोगों ने मार दी है, उसी की रिपोर्ट लिखना है, तब उसने हस्ताक्षर किये थे। 25.03.2022 को उसने थाने पर जाकर बयान दिया था, उसने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर दिया था। अब जो एफिडेविट दे रहे है, वह सही है। उसे, लड़के वालों से कोई शिकायत नहीं है।

तदोपरान्त विवेचक द्वारा मृतका तरन्नुम बानो ने फाँसी लगाकर आत्महत्या किये जाने व आत्महत्या का कारण वादी एवं गवाहान ने सिर दर्द व पेट दर्द के कारण परेशान होना बताने व

Digitally signed by ESHWAR SARAN KANNAUJIA
Date: 2023.08.05 15:35:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आत्महत्या की बात वादी द्वारा स्वयं पंचायतनामा में अंकित किये जाने तथा बेटी की मृत्यु से दुखी होकर तथा आवेश में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने व ससुरालीजन द्वारा कभी मृतका का न तो परेशान किये जाने और न ही कभी किसी प्रकार की दहेज की मांग किये जाने तथा न्यायालय में कोई अभियोग न चलाने के आधार पर उक्त अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या पर वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या से संतुष्ट होने व उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही न करने व अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान भी लेखबद्ध कराये गये है, जिनमें वादी मुकदमा अब्दुल मजीद द्वारा थाने में जाकर एक प्रार्थनापत्र अपने रिश्तेदारों के कहने पर लिखाने व पुलिस की आख्या से सन्तुष्ट होने तथा कोई कार्यवाही न किये जाने का कथन किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विवेचक द्वारा की गयी विवेचना संतोषजनक अवधारित होती है। वादी मुकदमा की ओर से कोई प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। चूंकि वादी मुकदमा उक्त मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः (विविध दाण्डिक वाद सं०–325/2023), मु०अ०सं०–109/2022 अन्तर्गत धारा–498–ए,302 भा०दं०स०, थाना–कोतवाली, जनपद–झाँसी में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट सं०–38/23 दिनाँकित–19.05.2023 स्वीकार करते हुए निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वर शरण कन्नौजिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झाँसी।

शुभम कुमार,
आशुलिपिक